International Journal of Sanskrit Research 2022; 8(2): 219-223

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2022; 8(2): 219-223
© 2022 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 04-12-2021
Accepted: 10-01-2022

अतुल कुमार शुक्ला
शोध-छात्र, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
अतुल कुमार शुक्ला
शोध-छात्र, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

कर भुगतानाभाव में दिये जाने वाले दण्ड : कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार

अतुल कुमार शुक्ला

प्रस्तावना

प्राचीन काल में स्वर्ण युग था लोग नीतियुक्त आचरण करते थे अर्थात् धर्म अपनी पूर्णता के साथ विराजमान था, किन्तु क्रमशः तीनों युगों (त्रेता, द्वापर एवं कलयुग) में धार्मिकता एवं नैतिकता में अवनति होती चली गई। जब मनुष्यों में धर्म का ह्रास होने लगा तब धर्म एवं न्याय का प्रवर्तन हुआ और राजा झगड़ों को दूर करने वाला एवं दण्ड का प्रणेता (अपराधी को दण्ड देने वाला) घोषित हुआ एवं धर्मशास्त्रकारों ने नियमों का निर्माण किया और कानूनों (व्यवहारों) का प्रचलन हुआ।

व्यवहार शब्द सूत्रों एवं स्मृतियों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है यथा लेन देन [1] झगड़ा या मुकदमा [2] लेन-देन में प्रविष्ट होने से सम्बन्धित न्याय (कानून) सामर्थ्य [3] तथा किसी विषय को तय करने का साधन [4] है। यथा -

तस्य व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राणि अंगानि ।

पी. वी. काणे महोदय ने व्यवहार शब्द को मुकदमा या कचहरी में गये हुए झगड़े एवं न्याय सम्बन्धी विधि (कानून) अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस प्रकार व्यवहार शब्द प्रमुख रूप से उपर्युक्त चार अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

कात्यायन ने व्यवहार की दो परिभाषाएँ की हैं जिनमें एक व्युत्पत्ति के आधार पर विधि की ओर प्रमुख रूप से संकेत करती है तथा दूसरी परम्परा के आधार पर झगड़े या मुकदमे या विवाद से सम्बन्धित है। उपसर्ग 'वि' का प्रयोग 'बहुत' के अर्थ में 'अव' का 'सन्देह' के अर्थ में तथा 'हार' का हटाने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। व्यवहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बहुत से सन्देहों को हटाता या दूर करता है। यह परिभाषा न्याय शासन को बहुत उच्च पद दे देती है।

विनानर्थेऽव सन्देहहरणं हार उच्यते।
नानासन्देहहरणाद् व्यवहार इति स्मृत [5] ।।

प्राचीन विद्वानों ने 18 व्यवहार पदों का कथन किया है। इस आधार पर मनुष्यों के झगड़ों के कारणों को 18 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके विषय में मनु, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, नारद एवं बृहस्पति के मतों में पर्याप्त भिन्नता है यथा मनु के अनुसार 18 व्यवहारपद हैं जो निम्न हैं-

(1) ऋणादान (2) निक्षेप (3) अस्वामि विक्रय (4) सम्भूय-समुत्थान (5) दत्तास्यानपाकर्म (6) वेतनदान (7) संविदव्यतिक्रम (8) क्रय-विक्रय अनुशय (9) स्वामिमपाल विवाद (10) वाक्यारूष्य (11) दण्ड पारूष्य (12) स्तेय (13) साहस (14) स्त्रीसंग्रण (15) स्त्रीपुंधर्म (16) विभाग (17) द्यूत समाह्वय (18) क्षेत्रजविवाद

याज्ञवल्क्य ने व्यवहार पदों की जो परिभाषा दी है। (जब कोई राजा को सूचित करता या आवेदन देता है- आवेदयति चेद् राज्ञे) उससे व्यक्त होता है कि व्यवहार के अन्तर्गत वे झगड़े आते हैं जो वादियों या प्रतिवादियों की ओर से कचहरी में आरम्भ किये जाने या लाये जाते हैं यथा याज्ञवल्क्य (मिताक्षरा) के अनुसार निम्न व्यवहार पदों की गणना की गयी [6]-

ऋणादान उपनिधि, संविद व्यतिक्रम, क्रीतानुशय, विक्रीयसंप्रदान, स्वामिपाल विवाद, सीमा विवाद, वाक्यपारुष्य, दण्डपारुष्य, स्तेय, साहस, स्त्री-संग्रहण, दाय विभाग, द्युत-समाह्वय, अभ्युपेत्य, शुश्रूषा, प्रकीर्णक |

कौटिल्य के अनुसार व्यवहार के निम्न कारण हैं [7] - ऋणादान, उपनिधि, अस्वामि विक्रय, सम्भूयसमुत्थान, दत्तस्यानपाकर्म, कर्मकरकल्प, समयस्थानपाकर्म, विक्रीतक्रीतानुशय, सीमाविवाद, वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, संग्रहण, बिना नाम दिये व्याख्या, दायभाग, द्यूत समाह्वय, प्रकीर्णक ।

'व्यवहार' पद का अर्थ है झगड़े विवाद या मुकदमे का विषय- "व्यवहार: तस्य पदं विषयः" [8]।।

कौल्टिय के अनुसार- दण्ड वह साधन है जिसके द्वारा आन्वीक्षिकी, त्रयी (तीनों वेदों) एवं वार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण अथवा योगक्षेम होता है। जिसमें दण्ड-नियमों की व्याख्या होती है वह दण्डनीति है, जिसके द्वारा अलब्ध की प्राप्ति होती है, लब्ध का परिरक्षण होता है. रक्षित का वर्धन होता है और वर्धित (बढ़ी हुई सम्पत्ति) का सुपात्रों में बंटवारा होता है [9]।

नीतिसार के अनुसार दम (नियन्त्रण या शासन) को दण्ड कहा जाता है, राजा को दण्ड की संज्ञा इसीलिए मिली है कि उसमें नियन्त्रण केन्द्रित है दण्ड की नीति या नियमों को दण्डनीति कहा जाता है और नीति यह संज्ञा इसलिए है कि वह (लोगों को) ले चलती है |

दमो दण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्याद् दण्डोमहीपतिः।
तस्य नीतिर्दण्डनीतिर्दण्डनीतिर्नयनान्नीतिरुच्यते [10]।।

महाभारत के शान्ति पर्व में दण्ड अनियान्त्रित लोगों को दबाता है और अभद्र तथा अनीतिमान को दण्डित करता है।

यस्माददान्तान्तमयत्यशिष्टान्दण्डयत्यपि दयनाद्
तस्माद् दण्डं विदुर्बुधा' [11]।।

दण्ड सब पर राज्य करता है सबकी रक्षा करता है, न्याय के रक्षकों के सो जाने पर भी जागता रहता है। बुद्धिमान लोग इसे धर्म कहते हैं। राज्य की इच्छा एवं दण्ड-शक्ति व्यक्ति एवं राष्ट्र को धर्म की सीमाओं के भीतर रखती है आज्ञा के उल्लंघन पर दण्ड देती है तथा सबका कल्याण करती है |

आचार्य बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियाँ बताई थी। जो निम्न थीं -

(1) मधुर उपदेश

(2) कड़ी झिड़की

(3) शारीरिक दण्ड

(4) अर्थ दण्ड

दण्ड की इन चार विधियों में से राजा प्रजा के कर न देने पर उस पर अर्थ दण्ड का उपयोग करके प्रजा को निश्छलता से कर देने के लिए प्रेरित करता था।

करादि का भुगतान न होने पर अपराधी व्यवहारी हो जाता था और उसके व्यवहार की कोटि के अनुसार ही उसके लिए दण्ड का निर्धारण होता था आचार्य कौटिल्य के अनुसार व्यवहार की कोटि एवं उस व्यवहार पद का निर्णय धर्मस्थ (न्यायाधीश) करते थे [12]।

राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राजा के कोष से धन खर्च किया जाता था। राजा के कोष की संरचना एवं वृद्धि विभिन्न प्रकार के करों के द्वारा एवं कर भुगतानाभाव में दिये जाने वाले दण्ड के रूप में प्राप्त अर्थदण्ड से होती थी| यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवश कोई अनुचित कार्य करता था या नियम का उल्लंघन करता था तब सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए दण्ड का प्रयोग करना पड़ता था। अज्ञानवश यदि कोई अपराध करता था तब वह उसका प्रायश्चित करता था और ज्ञान वश अपराध करने पर दण्ड दिया जाता था।

दण्ड का अर्थ या उद्देश्य यह था कि वैसा अपराध पुनः न होने पाये। अपराधी को दण्ड देकर अन्य लोगों के समक्ष उदारहण रखा जाता था जिससे अन्य लोग हिंसा अथवा अपराध करने से हिचकें अर्थात् इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति न होवे। अतः समाज रक्षा तथा समाज सुख की स्थापना ही दण्ड का उद्देश्य था।

यद्यपि आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दण्डों का स्पष्ट नामोल्लेख तो नहीं किया है किन्तु उनके दण्डों के विभाजन का आधार अधिकांशतः आचार्य बृहस्पति के ही सदृश्य है। कुछ कपटी व्यापारी अपनी चालाकी से कर न देने के लिए हेर-फेर करते थे जिन्हें पकड़ लिये जाने पर भी अर्थदण्ड लिया जाता था। कौटिल्य ने कर न दिये जाने पर तथा अन्य अर्थ सम्बन्धी अपराधों के लिए निम्न दण्डों का विधान किया गया था जो निम्न थे-

(1) मुहर न लगवाने पर दण्ड का विधान- कपटी व्यापारी माल पर मुहर न लगवाकर उसे कर रहित माल दिखाकर निकाल ले जाना चाहते थे अतः कौटिल्य ने लिखा कि जिन व्यापारियों के माल पर मोहर न लगी हो उनको जितनी चुंगी (कर) देनी चाहिए उन पर उसका दुगुना अर्थदण्ड (जुर्माना) लिया जाता था।

अमुद्राणाम् व्यये दद्याद् द्विगुणः [13] ।।

(2) नकली मुहर- जो व्यापारी अपने माल पर नकली मुहर लगवाते थे उन पर चुंगी का आठ गुना (जुर्माना) अर्थदण्ड दिया जाता था।

कूटद्राणाय शुल्काष्टगुणो दण्डः [14]।।

(3) मुहर को मिटा देने पर दण्ड का विधान- जो व्यपारी मुहर लगवाकर उसको मिटा दे उन्हें तीन घड़ी तक (ढाई घड़ी का एक घण्टा) ऐसे स्थान पर बिठाया जाता था जहाँ कि आने जाने वाले सभी व्यापारी उनके अपराध को जान सकें।

भिन्नमुद्राणामत्ययो घाटिका स्थाने स्थानम् [15]।।

अर्थात् माल पर मुहर लगाकर ही उस पर उसके अनुसार कर लिया जाता था। पर कुछ व्यपारी कर्मचारी के साथ मिलकर या स्वयं ही माल पर मुहर न लगवाये तो उस पर दण्ड लगाया जाता था।

(4) माल का नाम बदलने पर दण्ड- अगर कोई अपने माल का नाम बदलकर बताता था तो उस व्यापारी को सवा-पण दण्ड दिया जाता था।

राजमुद्रापरिवर्तने नामकृते सपादपणिकं वहनं दापयते [16]।।

(5) मूल्य को कम करके बताने पर दण्ड- अधिक चुंगी देने के डर से जो व्यापारी अपने माल और उसके मूल्य को कम करके बताते थे। उस अतिरिक्त माल को या तो राजा ले लेता था या व्यापारी से आठ गुना शुल्क वसूल किया जाता था।

शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं वा हीनं ब्रुवतस्तदतिरिक्त राजा हरेत् शुल्कमष्टगुणं वा दद्यात् [17]।।

(6) माल परिवर्तन- इसी प्रकार का दण्ड उस व्यापारी को भी दिया जाता था जो कि बढ़िया माल की जगह उसी प्रकार की दूसरी पेटी आदि में घटिया माल रखकर उसका मूल्य कम कर देते थे अथवा जो व्यापारी नीचे के हिस्से में अच्छा माल भरकर ऊपर से सस्ता माल भरते थे उन पर आठ गुना (शुल्क) अर्थदण्ड लिया जाता था |

तदेवनिविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनापकर्षणे सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुर्यात् [18]।।

(7) मित्रता या रिश्वत के कारण- यदि अध्यक्ष मित्रता या रिश्वर लेकर किसी अपराधी व्यपारी को माफकर देता था तो अपराध के अनुपात से आठ गुना दण्ड अध्यक्ष को दिया जाता था।

तदेवाष्टगुणमध्यक्षस्य छादयतः [19]।।

(8) बिना कर दिये ही चुंगीघर को लांघना- जो व्यापारी छिपकर या किसी छल से चुंगी या कर दिये बिना ही चुंगीघर से चले जाने का प्रयास करने पर उन्हें नियत शुल्क से आठ गुना अधिक शुल्क देना पड़ता था।

ध्वजमूलमतिक्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्टगुणौ दण्डः [20]।।

(9) चुंगी दिये माल के साथ बिना चुंगी दिये माल को निकाल ले जाना- यदि कोई व्यापारी चुंगी दिये माल के साथ बिना चुंगी दिये माल को निकाल ले जाए अथवा चुंगी दिये माल में बिना चुंगी का माल मिला दे उस व्यापारी का वह बिना चुंगी का माल जब्त कर लिया जाता था या उस पर उतना दण्ड निर्धारित किया जाता था।

कृतशुल्केनाकृताशुल्कं निर्वाहयतो द्वितीयमेकमुद्रया भित्वा
पण्यपुतमपहरतो वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः [21] ।।

(10) उत्कृष्ट माल को निकृष्ट बताना- जो व्यापारी चुंगी देने के भय से अपने अच्छे माल को घटिया बताकर धोखे से निकाल ले जाने की चेष्टा करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड (650 से 1000 पण) दिया जाता था।

शुल्कस्थानाद्गोमयपलाल प्रमाणं कृत्वां अपहरत उत्तम साहसदण्डः [22]।।

(11) निकृष्ट माल का निगूहन- जो व्यापारी घटिया माल को छिपाने का यत्न करे, उस पर चुंगी से आठ गुना जुर्माना किया जाता था और जो बढ़िया माल को छिपाये उसका सारा माल जब्त कर लिया जाता था।

निगूहतः फल्गुभाण्डं शुल्काष्टगुणो दण्डः, सारभाण्डं सर्वोपहारः [23]।।

कर या चुंगी को बचाने के लिए यदि व्यापारी अपना अनाज, साग-सब्जी, फल-फूल अपने खेत या बाग में भी बेचे तो उस पर अर्थदंड लगता था। जो कौटिल्य ने निम्न रूप में निर्धारित किया था -

(1) फूल-फल के बगीचों में ही फूल-फल खरीदने बेचने वालों पर 54 पण दण्ड लगाया जाता था।

पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पकलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः [24] ।।

(2) शाक-भाजी के खेतों में ही शाक-भाजी तथा कन्दमूल खरीदने बेचने वालों को 52 पण दण्ड दिया

षण्डेभ्यः शाकमूलकन्दादाने पादोन द्विपञ्चाशत्पणः [25]।।

(3) इसी प्रकार अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों पर 43 पण दण्ड लगाया जाता था और अन्न को खेत से ही खरीदने-बेचने वालों को क्रमशः एक पण तथा डेढ पण अर्थ दण्ड दिया जाता था।

क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने त्रिपञ्चाशत्पणः पणोऽध्यर्धपणख्यसीतात्ययः [26]।।

(4) खानों से तैयार किया हुआ कच्चा माल खरीदने बेचने वालों को 600 पण अर्थदण्ड दिया जाता था।

खनिभ्यो धातुपण्यादाने षट्छतमत्ययः [27]।।

(5) सरकार को पैदावार की कमी दिखाने के लिए यदि किसान अपने ही खेत में चोरी करे तो उससे चोरी किये हुए अन्न का आठ गुना अर्थ दण्ड वसूल किया जाये। यदि कोई व्यक्ति अपने ही गाँव में खड़ी फसल की चोरी करे तो उसे चोरी के माल का पचास गुना अर्थ दण्ड दिया जाये। यदि वह दूसरे गाँव का हो तो उसे प्राण दण्ड दिया जाये।

स्वसस्यापहारिणः प्रतिपातोऽष्टगुणः ।
परसस्यापहारिणः पञ्चाशद्गुणः सीतात्ययः स्ववर्गस्य बाह्यस्य तु वधः [28]।।

अतः इस प्रकार कर भुगतान न करने पर प्रजा पर अर्थ दण्ड लगाकर दण्डित करने से प्रजा राजा को समय पर निर्धारित कर देती थी जो कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था। क्योंकि राज्य की आय स्रोत का प्रमुख साधन कर ही था। अतः कर को निर्धारित करने के लिए दण्डविधान आवश्यक था।

संदर्भ सूची

1. उद्योगपर्व महाभारत 31/39 आपस्तंब धर्मसूत्र 2/7/16/17, 1/6/20//11
2. विष्णु धर्मसूत्र 3/72 एवं शुक्रनीतिसार 4/5/5
3. गौतम स्मृति 10/48 वशिष्ठ स्मृति 16/8
4. गौतम स्मृति 10/19
5. कात्यायन स्मृति
6. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/5
7. पी. वी. काणे कृत धर्मशास्त्र का इतिहास कौटिल्य धर्मस्थीय (3)
8. मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य स्मृति)
9. अर्थशास्त्र 1/4
10. शुक्रनीतिसार 2/15
11. महा. शांतिपर्व (15/8) अग्नि पुराण (226/16)
12. अर्थशास्त्र 3/12/7
13. अर्थशास्त्र 2/21/3

14. अर्थशास्त्र 2/21/4
15. अर्थशास्त्र 2/21/5
16. अर्थशास्त्र 2/21/6
17. अर्थशास्त्र 2/21/8
18. अर्थशास्त्र 2/21/9
19. अर्थशास्त्र 2/21/11
20. अर्थशास्त्र 2/21/13
21. अर्थशास्त्र 2/21/16
22. अर्थशास्त्र 2/21/17
23. अर्थशास्त्र 2/21/23
24. अर्थशास्त्र 2/22/3
25. अर्थशास्त्र 2/22/11
26. अर्थशास्त्र 2/22/12
27. अर्थशास्त्र 2/22/9
28. अर्थशास्त्र 5/2/17